न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 98 / प्रा.पत्र / 2018 (GCMS No. 2018 / 00252)	02.04.2018	28.10.2024

रामनिवास मीणा आ. नारायण मीणा, निवासी खान की झौपड़ियां हाल ग्राम दुगारी, तहसील नैनवां, जिला बून्दी
(मृतक जर्ये कायम मुकाम) :–
1/1. श्रीमती सन्तराबाई पत्नी स्व. रामनिवास मीणा,
1/2. रामराय आ. स्व. रामनिवास मीणा,
1/3. सुनील कुमार आ. स्व. रामनिवास मीणा, निवासी खान की झौपड़ियां, हाल ग्राम दुगारी, तहसील नैनवां, जिला बून्दी

– प्रार्थीगण

बनाम

1. देवा आ.स्व. घासी जाति मीणा, निवासी संवर, तहसील तालेडा
2. चौथमल आ.स्व.घासी जाति मीणा,निवासी संवर, तहसील तालेडा
3. लालचंद आ. मथरालाल जाति मीणा, निवासी कांजरी सिलोर, तहसील एवं जिला बून्दी।
4. यूनाईटेड कॉर्मशियल बैंक जर्ये मैनेजर, यूनाईटेड कॉर्मशियल बैंक, बून्दी
5. आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम बून्दी,तहसील व जिला बूंदी

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री प्रेमशंकर गुर्जर, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री शकील अहमद, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 5 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलक्टर, बून्दी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं.1 व 2 के पिता घासी वल्द गोपाल मीना को पत्रावली संख्या 735 पर किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 185 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं. 195 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम कांजरी सिलोर आवंटन आदेश दिनांक 15.01.1975 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 98/2018 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2018/00252 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. दिनांक 20.02.23 को पेश किया जाकर प्रार्थी रामनिवास की **डेढ़** वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाना अंकित करते हुये उसके वारिसान को कायम मुकाम बनाये जाने का निवेदन किया गया। बाद सुनवाई उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 29.01.24 को वारिसान को कायम मुकाम बनाया गया। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से दिनांक 02.11.22 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी सं.1 व 2 द्वारा दिनांक 11.06.2024 को जवाब पेश किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या आधार पर पेश किये जाने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा सं. 185 एवं 195 कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा वाकेग्राम कांजरी सिलोर में स्थित है जो मौके पर तलाई एवं रास्ते की भूमि है। उक्त भूमि ख.सं. 185 के बंदोबस्त से पूर्व खसरा नं. 66 रकबा 8 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नं. 18 रकबा 11 बिस्वा किस्म गे.मु. रास्ता से बनी है। ख.सं. 195 तलाई की भूमि कानूनन आवंटन नहीं की जा सकती है, इसके बावजूद भी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय के विपरीत परामर्शदात्री समिति, बून्दी द्वारा उक्त भूमि का आवंटन घासी वल्द गोपाल मीणा को किया गया, जो नियमों के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आवंटन की नियमानुसार कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई। घासी वल्द गोपाल मीणा के खाते में आवंटन के समय भी 19 बीघा 07 बिस्वा भूमि उसके खाते में होने से वह भूमिहीन कृषक नहीं था, ऐसी स्थिति में आवंटन का पात्र नहीं होते हुए भी घासी वल्द गोपाल मीणा को उक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया, जो

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रकटतया ही नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदन पत्र के कालम नं. 2 में आवंटी द्वारा उसके खाते की भूमि की जानकारी नहीं दी जाकर खाली छोडा गया है। इस प्रकार आवंटी द्वारा उक्त तथ्य छिपाकर आवंटन करवाया गया है। इसलिए भी आवंटन निरस्त होने योग्य है। ग्राम कांजरी सिलोर पेराफेरी एरिया में आता है जिसमें आवंटन व गैरखातेदारी से खातेदारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं दी जा सकती है। उक्त भूमि पर बोरिंग व पानी की टंकी जलदाय विभाग द्वारा लगाई हुई है। उक्त भूमि पर घासी वल्द गोपाल मीणा का कभी कब्जा नहीं रहा है और न ही उसके देहान्त के बाद अप्रार्थी सं. 1 व 2 का कब्जा है। उक्त भूमि में से खसरा नं. 195 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा अप्रार्थी सं.3 को विक्रय कर दी गई है जबकि बेचानकर्ता को उक्त भूमि बेचान करने का अधिकार नहीं था। आवंटनशुदा भूमि की किस्म परिवर्तन नामान्तरकरण सं. 25 से की गई है जिसका अमल भी नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में तलाई व रास्ता की भूमि होना प्रमाणित है। उक्त भूमि पर वर्तमान में भी तलाई होने से पानी भरा हुआ है और सार्वजनिक उपयोग में आ रही है, ऐसी भूमियों के संबंध में पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा कई प्रकरणों में रेफरेंस स्वीकार किये गये है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आरआरटी 2021(1) पेज 455 की नजीरें पेश करते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन दिनांक 15.01.1975 निरस्त किये जाने एवं अप्रार्थी सं.1, 2, 3 के नाम किया गया जमाबंदी का इन्द्राज विलोपित किये जाने का निवेदन किया गया, साथ ही पूर्व अनुसार भूमि पर रास्ता व तलाई का इन्द्राज किये जाने का भी निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 व 2 ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी सं.1 व 2 के पिता घासी वल्द गोपाल मीणा निवासी कांजरी सिलोर को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा नियमानुसार दिनांक 15.11.75 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया था तथा पट्टा फीस जमाकर नियमानुसार दखलनामा दिया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया। भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं.1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है, जिस पर वे काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा आवंटन दिनांक 15.01.1975 को चुनौती दी गई है। प्रार्थी द्वारा आवंटन के 42 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना उचित नहीं है, प्रार्थनापत्र प्रार्थी अवधि बाधित है। आवंटित भूमि ग्राम कांजरी सिलोर, तहसील बून्दी में स्थित है जबकि प्रार्थी उक्त ग्राम या पंचायत का निवासी नहीं है अपितु 60–65 किलोमीटर दूर ग्राम दुगारी, तहसील नैनवां का निवासी है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही उसने अपने प्रार्थना पत्र में अपना कब्जा होना अंकित किया है। इसलिए उक्त आवंटन से वह किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने से प्रार्थी पीडित पक्षकार नहीं है। प्रार्थी की इस संबंध में कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई विधिक

जिला कलेक्टर, बून्दी

अधिकारिता नहीं है। ऐसे में यह प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा आवंटन नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र किया गया है, जिसमें केवल गलत तथ्यों के आधार पर या तथ्यों को छिपाकर करवाये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है, जबकि आवंटी द्वारा किसी तथ्य को नहीं छिपाया गया। प्रार्थी द्वारा भी यह नहीं बताया कि आंवटी द्वारा आवंटन की किन शर्तो का किस प्रकार उल्लंघन किया है। रही बात आवंटित भूमि के रास्ता व तलाई होने की तो, न तो राजस्व रेकार्ड में वक्त आवंटन उक्त भूमि रास्ता व तलाई दर्ज थी और न ही मौके पर रास्ता व तलाई है, जबकि उक्त भूमि की किस्म बारानी सोयम है। प्रार्थी द्वारा ख.स.185 का मिलान क्षेत्रफल भी पेश नहीं किया गया। यदि भूमि तलाई दर्ज रेकार्ड भी होती तो भी प्रार्थी को रेफरेंस प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है इसके लिए तहसीलदार साहब सक्षम अधिकारी है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मिथ्या अभिवचन कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो किसी भी रूप में इतने वर्षो बाद भूमि पर खातेदारी प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी सं. 3 के अभिभाषक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी सं.3 लालचंद द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 195 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.09.2017 से क्रय की गयी है तथा वह उक्त भूमि पर सदभावी विधिवत केता है जो अपने खाते की उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 ने बिना किसी सरोकार के प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि घासी आ. गोपाल जाति मीना निवासी कांजरी सिलोर, तहसील बून्दी को पत्रावली संख्या 735 पर दिनांक 15.11.1975 को भूमि खसरा सं. 185 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा सं. 195 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम कांजरी सिलोर का आवंटन किया गया तथा नामान्तरकरण सं. 13 दिनांक 20.07.1976 से गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड की गई। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 अनुसार उक्त भूमि खसरा सं. 185 एवं 195 पर देवा, चौथमल पि0 घासी कौम मीणा निवासी कांजरी सिलोर जर्ये नामान्तरकरण सं. 216 दिनांक 25.02.2005 से खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 अनुसार उक्त भूमि में से खसरा संख्या 195 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा लालचन्द पि. मथुरालाल कौम मीना निवासी ग्राम कांजरी सिलोर की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त किये जाने हेतु 42 वर्ष बाद हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो गंभीर विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थी उक्त ग्राम कांजरी सिलोर या संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर उसका कब्जा होना प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। उक्त आवंटन से प्रार्थी के हित किस प्रकार से प्रभावित हुये है, प्रार्थना पत्र में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि आवंटन से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं किये जाने, आवंटी के भूमिहीन नहीं होने, आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं होने इत्यादि आक्षेप लगाते हुये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, किन्तु प्रार्थी की ओर से पेश किये गये दस्तावेजों से उक्त तथ्य प्रमाणित नहीं होते है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नकल जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 से आवंटी के वारिसान देवा, चौथमल पि0 घासी को उक्त आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होना प्रमाणित है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत कार्यवाही में खातेदारान् को प्राप्त खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आर.आर.डी. 1987 पृष्ठ सं. 359 एवं 371 में उद्हरित है। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

जहां तक आवंटित भूमि खसरा संख्या 185 की किस्म गे.मु.रास्ता होने से आवंटन से प्रतिबंधित होने तथा खसरा संख्या 195 की किस्म गे.मु.तलाई होने से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय से प्रभावित होने का प्रश्न है तो इस संबंध में तहसीलदार बून्दी से राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बून्दी को आदेशित किया जाता है कि वह खसरा संख्या 185 के वक्त आवंटन दिनांक 15.11.1975 के राजस्व रिकार्ड की जांच कर यदि भूमि की किस्म गे0मु0रास्ता पाया जाता है तथा खसरा संख्या 195 वाकेग्राम कांजरी सिलोर के राजस्व रिकार्ड (संवत् 2000–2004 की स्थिति अनुसार) का परीक्षण करवाकर यदि उक्त भूमि की किस्म तलाई होना पाया जाता है तो अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में नियमानुसार रेफरेंस प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी